

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक : प.3()आ.कृ./लेखा/बजट (प्रतिबद्ध)/2017-18/

दिनांक :


परिपत्र

विषय : बकाया यात्रा व्यय एवं चिकित्सा व्यय बिलों की सूचना प्रेषित करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक 6719-6869 दिनांक 18.02.2017 द्वारा सम्बन्धित कार्यालयों को विभिन्न बजट मदों में उनकी मांग एवं उपलब्ध बजट को ध्यान में रखते हुए यात्रा व्यय एवं चिकित्सा व्यय मद में बजट आवंटित किया गया था। बजट आवंटन करते समय यह भी प्रयास किया गया था कि यात्रा व्यय एवं चिकित्सा व्यय मद में वर्ष 2015-16 तक के सभी बकाया दायित्वों का भुगतान हो सके।

उक्त कार्यालय आदेश क्रमांक 6719-6819 दिनांक 18.02.2016 में यह भी स्पष्ट निर्देशित किया गया था कि वर्ष 2016-17 में आवंटित किये गये बजट का उपयोग करने के पश्चात भी यदि कोई बकाया बिल्स हो तो उनकी वर्षवार/बजट मदवार/नामवार सूची दिनांक 10.04.2017 तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय को प्रेषित करावें, ताकि वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु बजट आवंटन करते समय बकाया बिलों को ध्यान में रखते हुए बजट आवंटन किया जा सके, परन्तु कुछ ही कार्यालयों द्वारा बकाया यात्रा/चिकित्सा बिलों की सूचना प्रेषित की गई है, जिन्हें बजट भी आवंटन कर दिया गया है।


अतः सभी कार्यालयों को पुनः सूचित किया जाता है कि यदि उनके कार्यालय में वर्ष 2016-17 तक के कोई यात्रा/चिकित्सा बिल्स बकाया हो तो उनकी नामवार/बजट मदवार/वर्षवार सूची दिनांक 31.05.2017 तक इस कार्यालय को प्रेषित करावें, जिन कार्यालयों द्वारा दिनांक 31.05.2017 तक सूचना उपलब्ध नहीं कराई जायेगी तो यह समझा जावेगा कि उनके यहाँ वर्ष 2016-17 तक के कोई यात्रा/चिकित्सा बिल्स बकाया नहीं है एवं वर्ष 2017-18 के संशोधित बजट प्रस्तावों के समय बकाया यात्रा/चिकित्सा बिलों की सूची को ध्यान में नहीं रखा जावेगा।


(घनश्याम शर्मा)
वित्तीय सलाहकार, कृषि

क्रमांक : प.3()आ.कृ./लेखा/बजट (प्रतिबद्ध)/2017-18/1727-1887 दिनांक : 15/05/17

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्राचार्य राज्य स्तरीय कृषि प्रबन्ध संस्थान, दुर्गापुरा (जयपुर)
2. समस्त संयुक्त निदेशक, कृषि खण्ड
3. समस्त उप निदेशक, कृषि (विस्तार), जिला परिषद/(रसायन)/(गुण नियंत्रण)/(शष्प)
4. समस्त सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार)
5. समस्त कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन)/(वनस्पति)
6. ए.सी.पी. मुख्यालय जयपुर को विभागीय वेब साईट पर अपलोड एवं समस्त कार्यालयों की विभागीय ई-मेल पर प्रेषित करने हेतु।


(घनश्याम शर्मा)
वित्तीय सलाहकार, कृषि